राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक : 31 DEC 2021

आदेश

विषयः–फ्री–होल्ड पट्टा प्राप्त करने पर विशेष छूट–

लीज होल्ड पट्टे को फ्री–होल्ड कराने के प्रावधान नियमों में दिये गये है तथा इस संबंध में कुछ रियायतें भी दी गई है। जो पक्रिया अपनाई जानी है उसका उल्लेख दिनांक 08.12.2021 को जारी आदेश में विस्तृत रूप से अंकित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूर्व में जारी लीज होल्ड को फ्री–होल्ड में बदलने या नये फ्री–होल्ड पट्टे को प्राप्त करने के लिये कुछ अतिरिक्त छूट दी जावेगी जो निम्न प्रकार होगी –

(i) **ब्याज बाबत**– वर्तमान में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत् पट्टे जारी करने से पूर्व बकाया समस्त राशि पर ब्याज की शत–प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार 10 वर्षीय लीज राशि जमा करवाने का विकल्प लेने पर बकाया लीज पर 60 प्रतिशत छूट देते हुए शत–प्रतिशत ब्याज माफी का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ प्रकरण ऐसे है जहां पूर्व में पट्टे जारी किये जा चुके है मगर उसके उपरान्त भी राज्य सरकार/नगरीय निकायों के आदेशों से अथवा ऑडिट में प्रीमियम दरों या अन्य शुल्कों को लेकर कोई बकाया राशि निकाली जाकर मांग पत्र जारी किया गया है। ऐसे प्रकरणों में यदि प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण मूल राशि व अतिरिक्त मूल राशि जमा करा दी जाती है और फ्री–होल्ड पट्टे की मांग की जाती है तो बकाया मूल राशि जमा पर यदि कोई ब्याज की मांग की गई हो तो ब्याज देय नही होगा।

(ii) **अन्तिम क्रेता बाबत्**– नाम परिवर्तन, उपविभाजन/पुर्नगठन व भू–उपयोग परिवर्तन खांचा भूमि के आवंटन के प्रकरणों में भी फ्री–होल्ड पट्टा अन्तिम क्रेता के नाम निर्धारित शुल्क लेकर दिया जावें। साथ ही फ्री–होल्ड पट्टा प्राप्त करने के पश्चात् विक्रय होने पर नाम परिवर्तन शुल्क देकर नाम परिवर्तन किया जाकर नया फ्री–होल्ड पट्टा जारी किया जावेगा तथा ऐसे पट्टे हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क देय नही होगा।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।

Scanned by PDF Scanner

4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर / अजमेर / विकास प्राधिकरण।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
7. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका समस्त राजस्थान।
9. सचिव, नगरीय विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

31/12/2021
संयुक्त शासन सचिव
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

Scanned by PDF Scanner